to meet the Prime Minister with a miniature camera under his arm pit;

(e) whether any responsibility has been fixed on the erring officer; and

(f) if so, the details thereof and the action taken on the concerned officials and also the steps taken to avoid repetition of such serious lapses in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (f) The working of the Special Protection Group (SPG) is kept under constant review. However, in public interest and security considerations, it is not desirable to disclose the specific findings of such reviews which serve the purpose of identifying areas of vulnerability and taking remedial steps. The instances/causes of vulnerabilities are identified and appropriate remedial action is taken.

चलती रेलगाड़ियों में होने वाले अपराध

1192. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई–अहमदाबाद आने-जाने वाली सभी अप-डाउन रेलगाड़ियों में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन रेलगाड़ियों में डकैती, चोरी, चैन खींचने तथा माल-सामान चुराने की कितनी घटनायें हुई , और

(ग) इन घटनाओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ग) कानून और व्यवस्था को बनाये रखने और रेलों में होने वाले अपराधों सहित, अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है । इस प्रकार रेल-यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा करना, राज्य पुलिस का कार्य है । रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर हुये अपराधों से निपटने के लिये आमतौर पर एक पृथक संगठन होता है जिसे राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) कहते हैं ।

रेलगाड़ियों में डकैतियों, चोरियों, जंजीर खींचने और सामान की चोरी इत्यादि की घटनाओं के बारे में आंकड़े केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा नहीं रखे जाते हैं ।

राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबन्ध

1193. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरौल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों की पुनरीक्षा करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में (राज्य मंत्री श्री पी०एम० सईद) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) पुनर्विचार के लिये कोई संगत कारण नहीं है ।

जी.आर.पी. द्वारा दुर्व्यवहार

1194. **श्री नरेश यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और पंजाब में रोजगार की तलाश